	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 09, शुक्रवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 30, 2022 *Pausa 09 Friday , Saka 1944- December 30, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2022

एस.ओ.77 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14-08-2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीश माथूर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2022

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि राज्य में के पशुओं में लंपी त्वचा रोग के तेज संक्रमण को देखते हुए, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रिया का इस आपातिक और अकल्पित परिस्थिति में पालन संभव नहीं होने के कारण, पशुपालन विभाग और उपापन संस्था के रूप में जिला कलक्टरों द्वारा उपाप्त की जाने वाली पशुपालन विभाग द्वारा पहचान की गयी औषधियों और टीकों के उपापन पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के उपबंधों को लागू किये जाने से लोकहित में इसके द्वारा छूट देती है।

इस प्रयोजन के लिए उपाप्त की जाने वाली मदों/औषधियों की सूची, मात्रा और व्यय की सीमा सहित पशुपालन विभाग द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

[सं.एफ.2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.